न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 350/2023

आरसीएमएस नं. 2023/350

1. सुमित्रा उर्फ सावित्री पुत्री खेताराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. शिला उर्फ सिलोचना पुत्री खेताराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रजनी पुत्री कृष्ण
2. राजेश पुत्र कृष्ण
3. विकास पुत्र कृष्ण

} जाति धानक नाबालिग जरिये वली माता पूजा उर्फ गीतारानी पत्नी कृष्ण जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

4. कृष्ण पुत्र खेताराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
5. गुड्डी पत्नी खेताराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री खेताराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
7. इन्द्राज पुत्र आसी जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
8. रामकुमार पुत्र आसी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
9. मोहरा पुत्री आसी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
10. बिदामी पुत्री आसी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
11. मोहर सिंह पुत्र भूरी देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
12. भूप पुत्र भूरी देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
13. मेवा पत्नी बुधराम पुत्री भूरी देवी जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
14. सतपाल पुत्र बुधराम पुत्र भूरी देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

15. जयवीर पुत्र बुधराम पुत्र भूरी देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
16. बृजलाल पुत्री निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
17. मंगतु पुत्र निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
18. पप्पु पुत्र निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
19. सरबती पुत्री निको देवी पुत्री हीराराम जाति धानक साकिन गिराजसर तहसील नोहर।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा,
प्र. सं. 1139/2021 अनवान रजनी आदि बनाम कृष्ण आदि

उपस्थितिः–

श्री हवा सिह पूनियॉ, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 20

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय दिनांक 05.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने मातहत अदालत में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट सन् 1955 के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि रोही मोज गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 19 की कुल 59 बिघा 4 बिस्वा भूमि वादी के दादा खेताराम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है। वादीगण के दादा खेताराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम दर्ज हो गई जो अब नये नाप में रोही मोजा गिराजसर तहसील नोहर के जमबन्दी के खाता संख्या 70/70 की कुल 14.9710 हैक्टेयर भूमि है जो प्रतिवादी नं. 1 के नाम बतौर हिन्दू खानदान होने के कारण दर्ज है, जिसमें वादीगण का प्रतिवादी नं. 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। वादी ने वाद पत्र में वर्णित हक हिस्सा के अनुसार प्रश्नगत भूमि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने वादी वादी स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 ने अपीलाट्स को मुगालता में रखकर विधि विरूद्ध निर्णय अपने पक्ष में करवाया है जो अपीलाण्ट के साथ विश्वासघात हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान था जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ने अपीलाण्टस को बताया कि जो भूमि भूरी, निको व आसी पुत्रीयान हीराराम के नाम दर्ज है उसको अपने नामदर्ज करवा रहे है। जिसकी बाबत आपको अंगूठा हस्ताक्षर करना है उसी बावत अपीलाण्ट्स ने अपनी सहमती दी थी जबकि अपने नाम दर्ज भूमि को त्याग करने बाबत ना तो अपीलाण्ट्स को बताया गया ना ही अपीलाण्ट्स ने अपनी सहमति दी थी। वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ने अपीलाण्ट्स को सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी एवं ना ही मातहत अदालत ने इस तथ्यों पर गौर किया ना ही पत्रावली का निर्णय करने से पूर्व दस्तावेजों का गहन अवलोकिन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की उपस्थिति में अपीलाण्ट की सहमति के उपरान्त यह अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बातया है। अपीलाण्ट मिथ्यों तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हं। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हं।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को इकबाल दावा के आधार पर स्वीकार किया गया है परन्तु अपील में यह कथन आया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 1 ने अपीलाट्स को मुगालता में रखकर विधि विरूद्ध निर्णय अपने पक्ष में करवाया है जो अपीलाण्ट के साथ विश्वासघात हुआ है। प्रशासन गांवों के संग अभियान था जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ने अपीलाण्टस को बताया कि जो भूमि भूरी, निको व आसी पुत्रीयान हीराराम के नाम दर्ज है उसको अपने नामदर्ज करवा रहे है। जिसकी बाबत आपको अंगूठा हस्ताक्षर करना है उसी बाबत अपीलाण्ट्स ने अपनी सहमती दी थी जबकि अपने नामदर्ज भूमि को त्याग करने बाबत ना तो अपीलाण्ट्स को बताया गया ना ही अपीलाण्ट्स ने अपनी सहमति दी थी। उभयपक्षों के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इकबाल दावा विवाद है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/23

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़